न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः लोकेश कुमार मीना, अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 01/2020, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल ईमामुद्दीन पुत्र बशीर खां जाति मुसलमान निवासी खेडला थाना सलेमपुर जिला दौसा।

<u>कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975</u>

उपस्थिति : लोक अभियोजक – पैरोकार सरकार ।
: श्री दीपक शर्मा – अधिवक्ता गैर सायल ।

–: निर्णय :– दिनांकः– 02.03.2020

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना सलेमपुर जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि मुल्जिम ईमामुद्दीन पुत्र वशीर खां जाति मुसलमान निवासी खेडला थाना सलेमपुर दौसा बचपन से ही आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों के साथ बैठने लग गया व जुआं व सट्टे का कारोबार कर गांव में अशान्ति भय व्याप्त करना शुरू कर दिया। जिससे आम आदमी भयभीत होने लग गया व इसके डर व भय के कारण आम आदमी उक्त शख्स के विरूद्ध शिकायत करने में हिचकिचानें लग गया। उक्त शख्स का गांव में आस–पास के इलाकों में जनता पर आपराधिक प्रवृति व आचरण से विपरीत प्रभाव पडता है जिससे इलाका क्षेत्र में शान्ति भंग होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। उक्त शख्स की गांव में आम सूरत खराब है एवं उक्त आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में निम्न अपराध पंजीबद्ध है।

1. मु. नं. 257/2000 दिनांक 4.5.2000 धारा 13 **RPGO** थाना हिंडोन सिटी
2. 85/2000 धारा 13 **RPGO** थाना भुसावर
3. 365/01 धारा 13 **RPGO** थाना भुसावर
4. 16/04 दिनांक 7.2.04 धारा 13 **RPGO** थाना सलेमपुर
5. 16/06 दिनांक 21.02.06 धारा 13 **RPGO** थाना सलेमपुर
6. 147/17 दिनांक 13.10.14 धारा 13 **RPGO**
7. 136/15 दिनांक 9.8.15 धारा 13 **RPGO**
8. 114/16 दिनांक 21.8.2016 धारा 13 **RPGO**
9. 33/17 दिनांक 30.3.17 धारा 13 **RPGO**
10. 39/17 दिनांक 23.4.2017 धारा 13 **RPGO**
11. 59/17 दिनांक 9.5.17 धारा 13 **RPGO**
12. 114/18 दिनांक 19.10.18 धारा 13 **RPGO**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त शख्स सट्टे का करोबार करता है, जिसके कारण समाज के नवयुवक जुआ सट्टे की ओर अग्रसर हो रहे है। जिसका सीधा लाभ उक्त शख्स को हो रहा है। जिसके कारण नवयुवकों के परिजनो में रोष है। उक्त शख्स के खिलाफ दर्ज उपरोक्त प्रकरणों का विवरण देते हुए गैरसायल को धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमा से बाहर निष्कासित करने की प्रार्थना की गई है।

इस्तगासा दर्ज कर गैर सायल को नोटिस जारी किये गये। गैर सायल स्वयं उपस्थित आया। अधिवक्ता गैर सायल द्वारा जवाब इस्तगासा प्रस्तुत किया गया एवं अधिवक्ता गैर सायल एवं लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल के विरूद्ध दर्ज अभियोगों के संबंध में थानाधिकारी थाना सलेमपुर की रिपोर्ट में बताया कि गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पेश इस्तगासा में गैर सायल द्वारा 12 बार अपराध कारित किया गया है। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज उक्त अभियोगों में से 7 अभियोगों में सजायाब भी हो चुका है। गैरसायल थाना क्षेत्र थाना सलेमपुर, थाना भुसावर, थाना हिण्डौन सिटी में आपराधिक प्रवृतियों मे लिप्त रहने एवं शान्ति भंग करने का आरोपी है एवं गैर सायल की उक्त प्रवृतियों के कारण समाज में नई पीढी पर गलत असर पड़ रहा है। गैर सायल के उक्त कृत्यों के कारण सार्वजनिक स्थानों पर भय व्याप्त है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों के कारण गैर सायल ईमामुद्दीन पुत्र बशीर खां राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा 3 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। गैर सायल ईमामुद्दीन पुत्र बशीर खां जाति मुसलमान निवासी खेडला थाना सलेमपुर को जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

जवाब बहस में अधिवक्ता गैर सायल ने तर्क दिया कि प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज अभियोगो में कोई भी अभियोग गंभीर प्रवृति के नही है। गैर सायल के विरूद्ध केवल मात्र साधारण प्रकृति के धारा **RPGO** के प्रकरण दर्ज है जिनमें अधिकांश का फैसला आ चुका है। जिसमे गैर सायल के विरूद्ध एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है जो गंभीर प्रकृति, चोरी या नकबजनी का हो। गैर सायल एक गरीब शान्तिप्रिय मजदूर पेशा व्यक्ति है और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। गैर सायल के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमायी जाकर परिवाद खारिज फरमाया जावे।

बहस लोक अभियोजक व अधिवक्ता गैर सायल पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल के विरूद्ध 12 मुकदमे दर्ज हुए है जिनमें 07 मुकदमों में सजा हुई है तथा 05 मुकदमे निस्तारण से शेष है। गैर सायल ईमामुद्दीन पुत्र बशीर खां उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समाज में सद्भावना एवं शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे समाज कंटकों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे समाज कंटक अपनी कार गुजारियों के द्वारा माहौल को खराब नहीं कर सके।

उपरोक्त विवेचनानुसार इस्तगासा स्वीकार किया जाकर गैर सायल ईमामुद्दीन पुत्र बशीर खां जाति मुसलमान निवासी खेडला थाना सलेमपुर दौसा को दिनांक 5.3.2020 से 15 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल महवा, मण्डावर के रास्ते होते हुए थाना राजगढ जिला अलवर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी राजगढ जिला अलवर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में थाना क्षेत्र राजगढ जिला अलवर में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थाना अधिकारी राजगढ जिला अलवर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा । पुलिस अधीक्षक दौसा एवं अलवर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें। संबंधित को आदेश की प्रति भिजवाई जावे ।

यह निर्णय आज दिनांक 02.03.2020 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा